रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012021-224365
CG-DL-E-13012021-224365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942
No. 22]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

संख्या : यू-11/13/2/2019-चिकित्सा I.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा "अन्य लाभार्थी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2010" के अनुसार आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आ.भा./प्र.मं-ज.आ.यो) के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रयोक्ता प्रभार की दर को आगे अधिसूचित करने हेतु मसौदा अधिसूचना तथा इसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति तक इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 19.10.2020 को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत का राजपत्र (असाधारण) के खंड-4 के भाग-III में प्रकाशित की गई थी ;

तथा जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.11.2020 को सार्वजनिक की गई थी ;

तथा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।

अतः अब, जीएसआर 654(ई), दिनांक 04 अगस्त, 2010 को भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचित की गई "अन्य लाभार्थी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2010" के अनुच्छेद 7 के साथ पठित खंड 6 के उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा उक्त "अन्य लाभार्थी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2010" के अंतर्गत आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री – जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को अन्य लाभार्थियों के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.नि.) या कर्मचारी राज्य बीमा योजना (क.रा.बी.यो.) के अल्प उपयोगी अस्पतालों

में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रयोक्ता प्रभार शुल्क तथा अन्य विवरणों को निम्नलिखित शर्ताधीन अधिसूचित करते हैं, नामत :-

i. अंतरंग रोगी विभाग देखभाल की दरें आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना पैकेज दरों की मौजूदा दरों के अनुसार होगी;

ii. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए क.रा.बी.निगम अथवा क.रा.बी.योजना के अल्प उपयोगी अस्पताल होंगे, जहां पिछले दो वित्तीय वर्षों में बिस्तर अधिभोग 60% से कम रहा है;

iii. आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के संबंध में क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना अल्प उपयोगी अस्पतालों के नाम और उनकी परिचालन कार्य-रीतियाँ महानिदेशक, क.रा.बी.निगम द्वारा समय-समय पर अधिशासी आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन III/4/असा./458/2020-21]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi**,** the 22nd December, 2020

No U-11/13/2/2019.-Medical I.—whereas draft notification further to notify the rate of user charges as per Memorandum of Understanding entered by ESIC with National Health Authority, Government of India for providing services under Ayushman Bharat/ Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna (AB/PM-JAY) by Employees' State Insurance Corporation in accordance with "The Other Beneficiaries and Member of their Families Medical Facilities Scheme, 2010" and was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) in the Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 dated 19.10.2020 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of period of thirty days on which the notification was published;

And whereas, the said gazette notification was made available to the public on 03.11.2020;

And no suggestions were received from the persons likely to be affected;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of "The Other Beneficiaries and Members of their Families Medical Facilities Scheme, 2010" notified vide G.S.R 654(E), dated 04th August, 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary), part II Section 3, Sub-section (1) read with paragraph 7 thereof, the Director General, Employees' State Insurance Corporation, hereby notifies the rate of user charges and other details, as the Central Government has approved for availing the medical services in the underutilised Employees' State Insurance Corporation (ESIC) or Employees' State Insurance Scheme (ESIS) hospitals by Ayushman Bharat/Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna beneficiaries, as other beneficiaries, under the said "The Other Beneficiaries and Members of their Families Medical Facilities Scheme, 2010", subject to the following conditions, namely:-

- Inpatient Department care shall be as per the extant rates of Ayushman Bharat/Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna package rates;
- An underutilised hospital for the purpose of this notification shall be the Employees' State Insurance Corporation Hospital or Employees' State Insurance Scheme Hospital where the bed occupancy is less than 60% during the last two financial years;
- Name of the ESIC/ESIS underutilised hospitals and their operational modalities regarding Ayushman Bharat/ Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojna shall be as specified by the Director General, Employees' State Insurance Corporation, from time to time, through executive orders.

S. BISWAS, Insurance Commissioner

[ADVT. III/4/Exty./458/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.01.13 21:58:59 +05'30'